न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/504

गोपी नाथ पुत्र हजारी नाथ जाति बाबाजी आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. खानी पत्नी छोटू नाथ आयु बालिग जाति बाबाजी निवासी करवाला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. श्रीमती रामधणी पत्नी गोपालाल आयु बालिग जाति बाबाजी निवासी ग्राम बडगॉव मोरपा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्योजी आत्मज हजारी लाल जाति बाबाजी निवसी ग्राम पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. कैलाशी बाई पत्नी कंवर लाल आयु बालिग जाति बाबाजी निवासी ग्राम सरस्वती का खेडा तहसील व जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 19.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188, 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत ग्राम पेच की बावडी तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 361 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 362 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 363 रकबा 07 बीघा, खसरा नम्बर 364 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 365 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 366 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 652 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 365/679 रकबा 04 बिस्वा कुल 08 किता की कुल रकबा 21 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक भूमि है जिसमें वादी का हक हिस्सा निहित है और वह उक्त भूमि का विधिवत विभाजन कराने का अधिकारी है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के हिस्से की भूमि साढे तीन बीघा पर न तो कब्जा करे और न ही उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.07.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के जवाब को आधार बनाकर वादी को राजस्व कैम्प कोर्ट में सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा रूप से निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है । सीपीसी की पालना नहीं की है। वादी अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से अपीलान्ट वादी के हजारी नाथ का पुत्र साबित होने से वादग्रस्त आराजी में वादी अपीलान्ट का अधिकार व हिस्सा होना व अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होने से वादी अपीलान्ट अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन कराने का अधिकारी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट को उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी माह अगस्त, 2015 में हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशनर दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के द्वारा एक दावा हक घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि उनके पिता के खाते व कब्जे की कृषि भूमि कुल 08 किता की कुल रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा भूमि ग्राम पेंच की बावडी में स्थित है। उक्त आराजी का वादी के पिता के समय ही बंटवारा हो चुका है जिस पर वादी काबिज काश्त था । प्रतिवादी कम 1 से 4 वादी को उसके हिस्से की भूमि पर से बेदखल करने पर आमादा हैं और साठ–गांठ करके उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करने पर आमादा हैं । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा एवं विभाजन की डिक्री करवाकर अपना नाम पृथक से खाते में दर्ज करवाये । प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादी को हजारी नाथ का पुत्र नहीं होना बताया और उक्त भूमि स्वर्गीय हजारी नाथ द्वारा प्रतिवादी कम 3 श्योजी नाथ को वसीयत करने से उसका नाम

इंतकाल तस्दीक होने का अंकन कर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को कैम्प कोर्ट में रखते हुए वादी अपीलान्ट का वाद खारिज किया है कैम्प कोर्ट में सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, एकतरफा रूप से निर्णय पारित किया गया है । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है आराजी पैतृक है इस कारण श्योजी के पेक्ष में वसीयत का कोई अधिकार हजारी नाथ को नहीं था । हजारी नाथ काफी समय से बीमार थे । अपीलान्ट वादी ने जो दस्तावेज पेश किये थे उनके से अपीलान्ट वादी का हजारी नाथ का पुत्र होना साबित था । परिवार का मूल पुरूष भूरा नाथ था और भूरानाथ के कालूनाथ, सुवानाथ एवं हजारी नाथ पुत्र थे । कालूनाथ की पत्नी मोडी हजारी नाथ के नाते आई । वादी मोडी बाई और हजारी नाथ का पुत्र है । वादी अपीलान्ट हजारी नाथ का पुत्र होने से वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा का अधिकारी है । हजारी नाथ जवाबदावे की मद संख्या 04 के अनुसार 30–35 वर्षों से लकवे से पीडित था । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.04.1999 को तनकीयात कायम थी परन्तु न तो दस्तावेजी एवं न ही मौखिक साक्ष्य की विवेचना की गई है न ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया है और न ही सीपीसी की पालना की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 की पालना नहीं की है और हजारी नाथ की पहली पत्नी औंकारी बाई थी । गोपीलाल मोडी बाई एवं हजारी लाल का पुत्र है । वादी के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किये है उनमें सन् 1973 एवं 1974 में उनके पिता का नाम हजारी नाथ अंकित है । पीडब्ल्यू–7 स्वतंत्र गवाह हैं जिन्होंने यह स्वीकार किया है कि वादी हजारीनाथ का पुत्र है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो वसीयत पेश की गई है उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित नहीं करवाया गया है । यदि औंकारी के जीवनकाल में हजारी नाथ के मोडीबाई के विवाह के कारण वादी को हजारी नाथ की अवैध संतान माना जावे तो भी उनको उनके पिता की सम्पत्ति में अधिकार होगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2010 (एससी) पेज 545, 2017 आरआरडी (1) पेज 461, एआईआर 2004 पेज 286, आरएलडब्ल्यू 1980 पेज 597, एआईआर 2007 (एससी) पेज 2219 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट क्लीन हैण्ड से नहीं आए हैं वो यह कथन करते हैं कि हजारी लाल के पुत्र है और उनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है परन्तु उन्होंने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि औंकारी के जीवनकाल में ही हजारी नाथ ने मोडीबाई से नाता किया था । इस कारण वो अवैध संतान है । प्लीडिंग से परे जाकर यदि कोई साक्ष्य पेश की जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जा सकता । औंकारी दावा दायरी के समय जीवित थी इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया गया था । हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी नहीं रखी जा सकती । मोडी बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है । इंतकाल वसीयत के आधार पर खोला गया है । वसीयत जिला पंजीयक द्वारा पंजीकृत की गई है । वादी के द्वारा हक घोषणा की सहायता नहीं मांगी गई है । इस कारण उनका विभाजन का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय कैम्प कोर्ट में किया है लोक अदालत में नहीं किया है । चूँकि वसीयत हजारीनाथ ने सन् 1973 में ही निष्पादित कर दी थी, यह जानकारी वादी को थी इसलिए यह कूटरचित दस्तावेज उनके द्वारा तैयार करवाये गये है जिसमें अपने पिता का नाम हजारीनाथ अंकित करवाया गया है क्योंकि ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जो

राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया हों और उसमें वादी के पिता का नाम हजारी नाथ अंकित किया गया हो । राशनकार्ड एवं मतदाता कार्ड में पक्षकारों को पूछकर ही नाम एवं पिता का नाम अंकित किया जाता है । वादग्रस्त आराजी रस्पोडेन्ट के खाते एवं कब्जे में है । यदि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के मुख्य विषय का विवेचन एंव विश्लेषण कर दिया है तो तनकीवार निर्णय पारित नहीं होने पर निर्णय विधि सम्त होगा । वसीयत को वादी ने चैलेंज नहीं किया है । वसीयत के गवाहों की मृत्यु हो चुकी है इस कारण विधिक प्रावधानों के अनुसार वसीयत को प्रमाणित करवाया गया है । आदेश 41 नियम 23 एवं आदेश 25 सीपीसी के तहत प्रकरण को रिमाण्ड नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 512, डीएनजे 2009 (2) पेज 1030, आरआरडी 2007 पेज 109, डीएनजे 2015 (एससी) पेज 51, आरआरडी 2017 पेज 148 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली साक्ष्य के उपरान्त बहस में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में सिर्फ वादी उपस्थित हुआ है, प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए हैं, पक्षकारों ने कोई राजीनामा पेश नहीं किया है और इसी दिन दावा वादी खारिज किया गया है । पत्रावली में दिनांक 05.04.1999 को तनकीयात कायम की गई है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सीपीसी की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है ।

12. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आरआरडी 2017 पेज 148 उद्धरत की जिसमें यह होल्ड किया गया है कि समस्त तनकीयात पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य नहीं है मुख्य तनकी जिससे वाद का निर्णय हो जाता हो पर ही विस्तृत निर्णय दिया जाना पर्याप्त है । यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न तो किसी तनकी को मुख्य तनकी के रूप में निर्णित किया गया है और न ही पेश किये गये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना की है । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात की विवेचना नहीं की है । प्रकरण में महत्वपूर्ण विधिक एवं तथ्यात्मक बिन्दु निहित है और दोनों पक्षों के द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है जिसका समुचित विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त ही इसमें विधि सम्मत निर्णय पारित किया जा सकता है ।

13. वादी अपीलान्ट हजारी नाथ के पुत्र हैं अथवा नहीं इसका विवेचन उभय पक्ष के द्वारा पेश किये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना के उपरान्त ही किया जा सकता है । साथ ही वसीयत भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित है अथवा नहीं इसकी भी विस्तृत विवेचना किया जाना आवश्यक है जो अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं की है ।

14. इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण को सीपीसी की पालना में विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम की गई प्रत्येक तनकी का उभय पक्ष द्वारा पेश की गई साक्ष्य के आधार पर विवेचना करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 02 माह के अन्दर सीपीसी की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.05.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 19.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा